

संख्या: 67 / XXIV-C-3 / 2024-13(12)2022(Comp no 60188)

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय,
पटेल नगर, देहरादून।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 17 जनवरी, 2024

विषय:-श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा श्यामलाल बगीचा, पदमपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में द्वितीय परिसर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-SGRRU/RO/Corres/2022/006, दिनांक 16 फरवरी, 2022, पत्र संख्या:-SGRRU/RO/Corres/2022/010, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या:-SGRRU/RO/Corres/2023/12/01, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेखों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत स्थापित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर, देहरादून को श्यामलाल बगीचा, पदमपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में द्वितीय परिसर स्थापित किये जाने हेतु इस शर्त के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परिसर स्थापित किये जाने हेतु UGC (ESTABLISHMENT OF AND MAINTENANCE OF STANDARDS IN PRIVATE UNIVERSITIES) REGULATIONS, 2003 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा यू0जी0सी एवं अन्य नियामक संस्थाओं व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli

Date: 17-01-2024 13:49:30

(शैलेश बगौली)
सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

